



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013


जयपुर, दिनांक:-

आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) को बजट घोषणा 2019-20 के अनु. सं. 292.00.00 की अनुपालना में पावटा (जोधपुर) में रु. 3800.00 लाख की लागत में आधुनिक बस स्टेण्ड एवं फुटब्रीज के निर्माण कार्य के लिए रु. 500.00 लाख लेखा शीर्ष 3055-00-190(08)[00]-93 पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102001449 दिनांक 20.03.2020 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

——

(पी.डी.पारिक)


उप शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:- 24/03/2020

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम करें।
10. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
12. कम्प्यूटर सैल, परिवहन विभाग (जयपुर)
13. रक्षित पत्रावली।

0 / ——  
24/3/2020  
उप शासन सचिव